वकील अनावेदक निवेदन करते हैं कि अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं अतः बहस प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहते हैं। स्वी.
वकील अप्रार्थीगण के निवेदन पर जवाब प्रा० पत्र का अवसर समाप्त किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र हेतु दिनांक 4.12.19 को पेश हो।

Sd/
SDO

4.12.19

वकील उभयपक्ष उप० सरकारी पेशकार उप०
वकुलाय उभयपक्ष के निवेदन पर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के तथ्यो के मद्देनजर बहस व प्रार्थना पत्र के हालातो पर मनन किया।
बहस के दौरान उभयपक्ष के वकुलाय का मुख्य निवेदन रहा है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा हाला वाद के विचारण के दौरान एक दूसरे के कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड तथा मौका स्थिति यथावत रखी जावे तथा दोनो पक्ष एक दूसरे के कब्जा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	कब्जा में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं करने हेतु सहमत है। साथ ही राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति यथावत रखने पर सहमत है। उक्त प्रकरण के तथ्यों व हालात के मद्देनजर यह आदेश दिया जाता है कि हाजा प्रकरण की वादग्रस्त आराजी तहसील रोहट के सरहद ग्राम लालकी पटवार मण्डल लालकी के खसरा नम्बर 47, 231 व 271 कुल रकबा 94-05 बीघा तथा खसरा नम्बर 103/2 रकबा 15 बीघा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति को प्रार्थी व अप्रार्थीगण यथावत कायम हक हिस्सा अनुसार रखे तथा एक दूसरे के कब्जाकाश्त में किसी कदर दखलन्दाजी हाजा मूल वाद के निस्तारण तक नहीं करे। यह प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्रावली के संलग्न हो। Sd/- SDO Rohat

सेवामें,

प्रार्थी :-

गोदाराम

तहसील

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanghamitra Bardia
Date: 2020.03.04 15:22:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: